राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/19–20/38480-538 दिनांक 11/10/19

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के परिपत्र कंमाक 18470–80 दि. 27.06.2017 की निरन्तरता में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना में राजस्थान के मूल जनजाति छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक पर आवेदन विद्यार्थियों के द्वारा योजना के पेपरलेस हेतु ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम दिनांक 31.10.2019 तक आंमत्रित किये जाते है, निःशुल्क स्कूटी योजना 2019–20 में पेपरलेस ऑन लाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एंव विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश –

1. राज्य में स्थित शिक्षण–संस्थाओं द्वारा www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक कर एस.एस.ओ (single sign on) आई.डी के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैंपिंग आदि कर इस विभाग के सम्बन्धित जिले के कार्यालयों को ऑनलाईन फारवर्ड करेगे। इसके अभाव में अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन किया जाना संभव नही होगा तथा छात्राओं को स्कूटी/ प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाईन प्रोत्साहन योजना के पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नही होगा।
2. योजना में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नही हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगे।
3. ऑनलाईन आवेदन करने वाली छात्राओं को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा जैसे– भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर मय मोबाईल नम्बर, मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। जैसे– आय की घोषणा, 10 व 12 वी की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, आदि।
4. आय का घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता के जीवित नही होने की स्थिति मे अभिभावक का प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
5. छात्रा की आधारभूत सूचनाएँ जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
6. छात्रा की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित छात्रा के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में छात्रा के नाम के सामने छात्रा का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि

छात्रा अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो छात्रा को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।

7. छात्रा को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि छात्रा द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए छात्रा स्वंय जिम्मेदार होगा।
8. छात्रा को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि छात्रा सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

योजना में पेपरलेस ऑनलाईन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं छात्राओं के लिए विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। आवेदन करने की उक्त दिनांक के पश्चात् आवेदन करने की समयावृद्धि में अभिवृद्धि नही की जायेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार) IAS
आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/19–20/38480-538 दिनांक 11/10/19

प्रतिलिपि – सूचनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बांरा) ।
3. अतिरिक्त आयुक्त, तृतीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. परि. अधि., टीएडी, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड।
5. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जौधपुर/पाली/कोटा/अजमेर ।
6. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जौधपुर/कोटा/अजमेर ।
7. जिला जनसम्पक्र अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पुरे राजस्थान में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।

आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

राजस्थान सरकार

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक – एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/19–20/ 34056-79 दिनांक 03/09/2019

विज्ञप्ति

(जनजाति छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रोत्साहन योजनाओं में ऑनलाईन आवेदन करने की संशोधित अंतिम दिनांक)

शैक्षणिक सत्र 2019–20 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान की जनजाति छात्र/छात्राओं के शैक्षणिक उत्थान हेतु चलाई जा रही विभिन्न निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाओ में ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक पर आवेदन करने की अन्तिम दिनांक **दिनांक 31.10.2019 तक बढ़ाई जाती है।**

1 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता राशि

2 छात्रगृह किराया योजना – (केवल अनुसूचित क्षेत्र के छात्र/छात्राओं हेतु)

3.बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता

4.जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

प्रोत्साहन योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों के लिए विस्तृत विवरण व दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन करने की उक्त अंतिम दिनांक के पश्चात् आवेदन करने की समयावृद्वि में अभिवृद्वि नही की जायेगी।

(विकास सीताराम जी भाले)IAS
आयुक्त

क्रमांकः–एफ 3(ए)( )शिक्षा/सीटीएडी/19–20/ 34056-79 दिनांक 03.09.2019

प्रतिलिपि – सूचनार्थ ।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास परियोजना, शाहबाद (बारां) ।
3. निदेशक, टीआरआई, उदयपुर।
4. परि. अधि., टीएडी, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड।
5. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/पाली/कोटा/अजमेर
6. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/अजमेर ।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पुरे राजस्थान में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।

अति. आयुक्त

राजस्थान सरकार
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अशोकनगर मेन रोड़, उदयपुर– 313 001 (राज.)
Phone – Telefax (0294) 2410958, (फोन.नं.) 2414352 E-Mail : triudaipur@gmail.com

क्रमांक एफ–1(2) रिसर्चफेलो. / टीआरआई / 2019–20 / 2075 दिनांक 22-08-2019

निर्देश

अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) एवं सहरिया क्षेत्र के बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज के मूल जनजाति छात्र / छात्राओं के लिये रिसर्च फेलोशिप योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया आरम्भ है।

शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) एवं सहरिया क्षेत्र की बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों के मूल पात्र जनजाति छात्र / छात्राओं को रिसर्च फेलोशिप योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक पर आमंत्रित किये जाते है। जिसकी लिंक बन्द होने की अंतिम दिनांक 31–10–2019 है।

रिसर्च फेलोशिप हेतु दिशा निर्देश –

1. योजनाओं में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नहीं हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज / सूचनाएं तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा, जैसे – भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर, आय की घोषणा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, कक्षा 10वीं की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की रसीद आदि।
3. आय घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनवाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता जीवित होने की स्थिति में उनका स्वयं का / माता–पिता के जीवित नहीं होने की स्थिति में अभिभावक का आय प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण पत्र स्केन पर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
4. विद्यार्थियों से सम्बन्धित आधारभूत सचनाएं जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आवेदक के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक आवेदक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन आवेदक स्वयं द्वारा करवाया जाना आवश्यक होगा।
5. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नहीं होने की स्थिति में अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या, IFSC कोड आदि अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
6. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम 7 दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी 7 दिवस में आक्षेप की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
7. अनुसूचित जनजाति अभ्यार्थियों हेतु रिसर्च फेलोशिप योजनान्तर्गत आवश्यक शर्तें :–
   - अभ्यार्थी को कम से कम 50 प्रतिशत के साथ राजस्थान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिये।
   - केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सामाजिक उपक्रम / स्थानीय निकाय से वेतन / परिलाभ प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत पात्र नहीं होंगे।
   - किसी भी अन्य प्रकार की छात्रवृति / अध्ययनवृति प्राप्तकर्ता योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगें।
8. आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन करें :–
   - अनुसूचित जनजाति का प्रमाण –पत्र (स्व प्रमाणित)
   - अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया प्रोजेक्ट क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित)
   - शैक्षणिक योग्यताओं की प्रमाणित अंक तालिकाएं एवं प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित)
   - वार्षिक आय प्रमाण पत्र (स्व प्रमाणित) जो छः माह से पुराना न हो।
   - विश्वविद्यालय में पंजीकरण पत्र की प्रमाणित प्रति।
   - शोध विषय की रूपरेखा (सिनाप्सीज) (शोध पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित)
   - सेवारत न होने एवं अन्य छात्रवृति / अध्ययनवृति प्राप्त न करने का घोषणा पत्र

निदेशक

d/ chandni /manuramji/letter

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांकः–एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/19–20/ 25102-52 दिनांक 24/6/19

आदेश

विभाग द्वारा पूर्व में जारी शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के परिपत्र कमांक 18470–80 दि. 27.06.2017 की निरन्तरता में शैक्षणिक सत्र 2019–20 में निम्नलिखित योजनाओ में राजस्थान के मूल जनजाति छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक पर आवेदन आमन्त्रित करने, शैक्षणिक संस्थान एवं जिला कार्यालयों द्वारा प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच उपरान्त स्वीकृति जारी कर स्वीकृतिशुदा आवेदन पत्रों का सम्बन्धित विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि जमा कराना एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (फारवर्ड) करने के लिए निम्नानुसार तिथियॉ निर्धारित की जाती है।

1 जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा सहायता राशि
2 छात्रगृह किराया योजना – (केवल अनुसूचित क्षेत्र के छात्र/छात्राओं हेतु)
3. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता
4. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

जनजाति विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक उत्प्रेरक योजनाओं के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में निर्धारित दिनांक

क्र.स	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियॉ
1	उपरोक्त योजनाओं का पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण, प्रोफाईल अपडेशन एवं सत्यापन/अनुमोदन करने के लिए ऑनलाईन पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	26.06.2019
2	विद्यार्थियों के द्वारा योजनाओं के हेतु पेपरलेस ऑनलाईन पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए अन्तिम तिथि/ पोर्टल बन्द करने तिथि	31.08.2019
3	शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जॉचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को फारवर्ड करने की अन्तिम तिथि	10.09.2019
4	स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त समस्त प्रोत्साहन योजनाओं के आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी करना, अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) करने की अन्तिम तिथि	20.09.2019
5	पारितशुदा बिलों की राशि विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित करने/करवाने की अन्तिम तिथि	30.09.2019

नवीन प्रोत्साहन योजनाओं 2019–20 में पेपरलेस ऑन लाईन आवेदन करने हेतु शीर्ष संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एंव विद्यार्थियों के लिए दिशा निर्देश –

1. राज्य में स्थित शिक्षण–संस्थाओं द्वारा www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक कर एस.एस.ओ (single sign on) आई.डी के द्वारा पंजीकरण करने के उपरान्त, संस्थाओं की प्रोफाईल अपडेशन, पाठ्यक्रम मैपिंग आदि कर इस विभाग के सम्बन्धित जिले के कार्यालयों को ऑनलाईन फारवर्ड करेगे। इसके अभाव में अधीनस्थ शिक्षण संस्थाओं का ऑनलाईन सत्यापन/अनुमोदन किया जाना संभव नही होगा तथा विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के पोर्टल पर शिक्षण संस्थान प्रदर्शित नही होगा।
2. सभी प्रोत्साहन योजनाओं में जिनके माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नही हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
3. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा जैसे– भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर मय मोबाईल नम्बर, मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। जैसे– आय की घोषणा, 10 व 12 वी की अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा की अंकतालिका, आदि।
4. आय का घोषणा पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। माता–पिता के जीवित नही होने की स्थिति में अभिभावक का प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
5. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
6. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।
7. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वय जिम्मेदार होगा।
8. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

203
NOTE 2019

क्रमांकः–एफ.3(ए)(37)शिक्षा/सीटीएडी/19–20/25102–52 दिनांक 24.6.19

प्रतिलिपि – सूचनार्थ ।

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
2. अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी, सहरिया विकास, शाहबाद (बारां) ।
3. अतिरिक्त आयुक्त, तृतीय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. परि. अधि., टीएडी, उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाडा/प्रतापगढ/आबूरोड।
5. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जौधपुर/पाली/कोटा/अजमेर ।
6. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, जयपुर/भरतपुर/बीकानेर/जौधपुर/कोटा/अजमेर ।
7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का पूरे राजस्थान में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।

आयुक्त

204
NOTE 2019

(2)

राजस्थान सरकार
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अशोकनगर मेन रोड़, उदयपुर– 313 001 (राज.)
Phone – Telefax (0294) 2410958, (फोन.नं.) 2414352 E-Mail : triudaipur@gmail.com

क्रमांक: एफ–1(2) NEET-JEE / टीआरआई / 2019–20 / 1423-24 दिनांक: 11-6-19

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (TSP), माडा एवं बिखरी जनजाति आबादी के जनजाति छात्र / छात्राओं को तकनीकी (मेडिकल व इंजिनियरिंग) सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से NEET–JEE परीक्षा पूर्व कोचिंग फीस राशि का पुनर्भरण हेतु ऑनलाईन आवेदन–पत्र विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES (2019-20) लिंक पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गए है।

इस संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विस्तृत जॉच उपरान्त स्वीकृति जारी कर स्वीकृतिशुदा आवेदन पत्रों का सम्बन्धित विद्यार्थियों के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में राशि जमा कराना एवं आक्षेप योग्य आवेदन पत्रों को ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि / पोर्टल बंद करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 रखी गई है।

योजना में आवेदन करने के नियम एवं शर्ते :–

1. विद्यार्थी के माता–पिता या अभिभावक आयकरदाता नही हो, उनके परिवार के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेगे।
2. ऑनलाईन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन को ऑनलाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज / सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा, जैसे– भामाशाह कार्ड, आधार नम्बर, आय की घोषणा, मूल निवास प्रमाण–पत्र, कक्षा 10वी अंक तालिका, गत अन्तिम परीक्षा (कक्षा 12 वीं) की अंकतालिका, फीस की रसीद इत्यादि आवश्यक दस्तावेज संबंधी सूचनाएं ।
3. आय का घोषणा–पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार करवाकर मूल ही स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा, माता–पिता जीवित होने की स्थिति में। माता–पिता के जीवित नही होने की स्थिति मे अभिभावक का प्रमाण–पत्र व विवाहित महिला होने की स्थिति में उसके पति द्वारा आय की घोषणा की जायेगी। माता–पिता

नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय–प्रमाण पत्र स्केन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

4. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे– नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड व अन्य का विवरण , मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। आपके शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

5. विद्यार्थी की प्रोत्साहन राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। भामाशाह पोर्टल में विद्यार्थी के नाम के सामने विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या नही होने की स्थिति में भामाशाह कार्ड में दिये गये परिवार के मुखिया के बैंक खाते में राशि हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरित करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा।

6. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्था एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानीपूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्था/पाठ्यक्रम/अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वंय जिम्मेदार होगा।

7. विद्यार्थी को आक्षेप की पूर्ति के लिए भी अधिकतम सात दिन का समय प्रदान किया जाएगा। यदि विद्यार्थी सात दिन में आक्षेप की पूर्ति नही करता है तो ऐसा ऑनलाईन आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।

8. जनजाति छात्र/छात्राओं (अनुसूचित क्षेत्र TSP के लिए) माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी को मेडिकल एवं तकनीकी NEET–JEE प्रवेश परीक्षा हेतु सरकार/विभाग द्वारा अनुमोदित कोटा, उदयपुर , जयपुर एवं सीकर स्थित संस्थाओं में निःशुल्क परीक्षा पूर्व कोचिंग प्राप्त कर सकते है जिनका विवरण उपरोक्त पोर्टल पर दिया गया है।

अनुसूचित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

1. बांसवाड़ा पूर्ण जिला
2. डूंगरपुर पूर्ण जिला
3. प्रतापगढ़ पूर्ण जिला
4. उदयपुर जिले की (कुल 11 तहसील) – कोटड़ा, झाड़ोल (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलूम्बर, सराडा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा, गिर्वा, अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, मावली एवं वल्लभनगर अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
5. राजसमन्द जिले की (कुल 2 तहसील) – कुम्भलगढ़ एवं नाथद्वारा तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
6. चितौड़गढ़ जिले की (कुल 1 तहसील) – बडी सादडी तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
7. पाली जिले (कुल 1 तहसील) – बाली तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम
8. सिरोही जिले (कुल 2 तहसील) – आबूरोड़ एवं पिण्डवाडा तहसील अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम

क्र. सं.	कोटा स्थित संस्थाएं	
1.	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा	अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।
2	केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा	
3	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा	
4	मोशन आईआईटी, कोटा	
5	आकाश कोंचिग इंस्टीट्युट, कोटा	
6	इन्फाइनाईट कोचिंग, कोटा	
7	एस्पायर कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
8	सर्वोत्तम केरियर इंस्टीट्युट, कोटा	
	उदयपुर स्थित संस्थाएं	
1.	ऐसेन्ट केरियर पोईन्ट, 387–388, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर–3, उदयपुर	
2.	एम.के. जैन क्लासेज, 7, दुर्गानर्सरी रोड, उदयपुर	
3	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., उदयपुर।	
4	आकाश कोंचिग इंस्टीट्युट, उदयपुर।	

क्र. सं	संस्था का नाम	
	(1) <u>कोटा स्थित संस्थाएं :</u>	माडा क्षेत्र एवं बिखरी जनजाति आबादी के मूल पात्र जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु।
I	रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा	
II	ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा	
III	केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा	
IV	मोशन आईआईटी, कोटा	
V	आकाश कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
VI	इन्फाइनाईट कोचिंग, कोटा	
VII	एस्पायर कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा	
VIII	सर्वोत्तम केरियर इंस्टीट्युट, कोटा	
	(2) जयपुर स्थित संस्थाएं :	
I	निश्चय आईएएस एकेडमी, जयपुर	
II	रेजोनेन्स इन्स्टीट्यूट, जयपुर	
III	ऐलन केरियर इन्स्टीट्यूट, जयपुर	
IV	इनोवेशन, जयपुर	
V	केरियर पोइन्ट, जयपुर	
vi	आकाश कोचिंग इन्स्टीटयुट जयपुर	
	(3) सीकर स्थित संस्थाएं :	
I	केरियर लाईन कोचिंग, (CLC) "लक्ष्मी निवास" पीपरली रोड़, सीकर	
II	गुरूकृपा करियर इन्स्ट्टीयूट, PMT डिविजन ज्योति नगर पीपरली रोड़, सीकर/जेईई डिविजन हनुमान नगर नवलगढ़ रोड़ सीकर	
III	मेट्रीक्स अकेदमी, अपोजिट रिलाइन्स पेट्रोल पम्प, पीपरली रोड़, जाट कॉलोनी, सीकर	
IV	प्रिन्स करियर पॉइनीयर, पालवास रोड़, सीकर	
V	समर्पण करियर इन्स्ट्टीयूट, पीपरली रोड़, सीकर	
VI	कौटिल्या, पीपरली रोड़, सीकर	

- संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली "प्रवेश परीक्षा–2019" में उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले योग्य छात्र/छात्राएं इस हेतु आवेदन के पात्र होंगे।
- विद्यार्थी द्वारा वर्ष 2019 में उत्तीर्ण कक्षा 12 वीं (विज्ञान) में 60 प्रतिशत एवं इससे अधिक प्राप्त अंकों के आधार पर वरियता से छात्र/छात्राओं का चयन किया जावेगा।
- पूर्व में इस योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर चुके छात्र/छात्राएं पात्र नहीं होंगे।
- योजना अन्तर्गत इस संस्थान द्वारा निम्न परिलाभ राज्य सरकार के नियमानुसार देय होंगे :

(अ) कोर्स फीस का पुनर्भरण मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अधिकतम रुपये 55,000/– (पचपन हजार) देय होंगे।

(ब) प्रतिमाह 1000/– की छात्रवृत्ति 10 माह की 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर एक मुश्त दी जायेगी।

(स) रू. 5000/– की सहायता राशि एक मुश्त (पुस्तकें, स्टेशनरी क्रय करने के मूल वाउचर प्रस्तुत करने पर)

(दिनेश चन्द्र जैन)
निदेशक,
टीआरआई, उदयपुर

0/c

क्रमांकः एफ–1(2) NEET-JEE / टीआरआई / 2019–20 / १५२३-२५ दिनांकः 11-6-19

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर संलग्न विज्ञप्ति को विभागीय वेब साईट पर अपलोड़ कराने का श्रम करावें।
2. संस्थापक– ऐलन केरियर इंस्टीट्युट "संकल्प भवन" सी.पी.–6, इन्द्र विहार, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संस्थापक–केरियर पॉइन्ट, सी.पी. टॉवर, रोड़ नम्बर–1, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संस्थापक–रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., जे–2, जवाहरनगर, मेन रोड़, कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संस्थापक–मोशन आईआईटी, कोटा
6. संस्थापक–आकाश कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा
7. संस्थापक–इन्फाइनाईट कोचिंग, कोटा
8. संस्थापक–एस्पायर कोचिंग इंस्टीट्युट, कोटा
9. संस्थापक–सर्वोत्तम केरियर इंस्टीट्युट, कोटा
10. संस्थापक–ऐसेन्ट केरियर पोईन्ट, 387–388, हिरण मगरी सेक्टर नम्बर–3, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संस्थापक–एम.के. जैन क्लासेज, 7, दुर्गानर्सरी रोड, उदयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. संस्थापक–रेजोनेंस, इडूवेन्चर्स प्रा. लि., उदयपुर।
13. संस्थापक–आकाश कोचिंग इंस्टीट्युट, उदयपुर।
14. संस्थापक–निश्चय आईएएस एकेडमी, जयपुर
15. संस्थापक–रेजोनेन्स इन्स्टीट्यूट, जयपुर
16. संस्थापक–ऐलेन केरियर इन्स्टीट्यूट, जयपुर
17. संस्थापक–इनोवेशन, जयपुर
18. संस्थापक–केरियर पोइन्ट, जयपुर
19. संस्थापक–आकाष कोचिंग इन्स्टीटयुट जयपुर
20. संस्थापक–केरियर लाईन कोचिंग, (ब्स्ब्द्व ष्लक्ष्मी निवासष पीपरली रोड़, सीकर
21. संस्थापक–गुरूकृपा करियर इन्स्ट्टीयूट, च्डज डिविजन ज्योति नगर पीपरली रोड़, सीकर / जेईई डिविजन हनुमान नगर नवलगढ़ रोड़ सीकर
22. संस्थापक–मेट्रीक्स अकेदमी, अपोजिट रिलाइन्स पेट्रोल पम्प, पीपरली रोड़, जाट कॉलोनी, सीकर
23. संस्थापक–प्रिन्स करियर पॉइनीयर, पालवास रोड़, सीकर
24. संस्थापक–समर्पण करियर इन्स्ट्टीयूट, पीपरली रोड़, सीकर
25. संस्थापक–कौटिल्या, पीपरली रोड़, सीकर
26. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

निदेशक

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940
No. 325] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाडिया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव तथा गोगुन्दा तहसील।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(I) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोडों का गुढ़ा, बान्दरवाड़ा, धोडान कलां, धोडान खुर्द और कायलों का गुढ़ा ग्राम,

(II) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, राया, करावाडी, मठाठा, नागदा, आलों का गुढ़ा तथा गुणवास ग्राम,

(III) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, करेलों का गुढ़ा तथा सारे ग्राम,

(IV) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटो का गुढ़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(V) ढीकली ग्राम पंचायत के ढीकली तथा बड़ा ग्राम,

(VI) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा डांगियों का हुंदर ग्राम,

(VII) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल उबेश्वरजी, धार, बडंगा तथा बनादिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के नउवा ग्राम पंचायत के नउवा, खादरा, रायजी का गुढ़ा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(I) माल की टूस ग्राम पंचायत के माल की टूस, गोवला, फलेट, टांक और ब्राह्मणों का रोड़ा ग्राम,

(II) धावड़िया ग्राम पंचायत के धावड़िया, खेड़ाफला, नागलिया, रानी डूंगला और राणिया ग्राम,

(III) भोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के भोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,

(IV) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांकरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुंभलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढ़ा और बारा ग्राम,

(ii) कुन्चोली ग्राम पंचायत के कुन्चोली, केशर और बावदा ग्राम,

(iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोदार ग्राम,

(iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, जेतारण और देलवाड़िया ग्राम,

(v) बरदड़ा ग्राम पंचायत के बरदड़ा, उदावड़, कलधाना और कोटड़ा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बरवा, बरवालिया, बेरन, कमली का गुढ़ा, गामेठों का नोहरा, दामावड़ी, कोलर, मुंजेला, लीलेरा, रायनिया, श्यामजी का गुढ़ा, सियोल, सोनगरिया और तांतेला ग्राम।

(6) निम्नानुसार उल्लिखित चित्तौडगढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आफरों का तालाव, लिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूघनाथपुरा, कीटखेड़ा, रती तलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, चांदपुरा, सवलपुरा तथा गुन्दलपुर ग्राम,

(ख) अमीरामा ग्राम पंचायत के अमीरामा, मानपुरा, पारबती, रूपपुरा तथा मरावड़िया ग्राम,

(ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (ए), केवलपुरा जागीर, रावतपुरा, शिवपुरा, टंगडियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लछमीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, नूनी बड़वाल, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बी) ग्राम,

(घ) मूंजवा ग्राम पंचायत के मूंजवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातामगरी, टीकड़िया खेड़ी, पूजों का फलियान, पायरी, केशरपुरा, खांखरिया खेड़ी, लालपुरा, काला खेत तथा दीपों का तालाव ग्राम,

(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूण्डी, गढ़ बोरूण्डी, संग्रामपुरा, राठोडों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा सुखपुरा ग्राम।

(7) निम्नानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागदड़ा, ठंडी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,

(ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाडा, कोलीवाडा, कूरण खादरा और खेतरली खाडा ग्राम,

(ग) गोरिया ग्रान पंचायत के गोरिया और कोरवा ग्राम,

(घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, तणी, उरणा और नाडीया ग्राम,

(ङ) काकराडी ग्राम पंचायत के काकराडी, अरडवा, दानवरली, सांभरवाडा और बेरडी ग्राम,

(च) सालवू ग्राम पंचायत के सालेमू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

(ज) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, चिमनपुरा और मालदर ग्राम,

(झ) कोयलावाव ग्राम पंचायत के कोयलावाव, चिगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(6) सिरोही जिले में निम्नलिखित ;

(क) आबूरोड़ तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, सादेला, वागदरी, ढांगा, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादावेरी ग्राम,

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, सादलवा और मालप ग्राम,

(iv) घरट ग्राम पंचायत के घरट, मालेरा, नवावास, गड़िया और पहाड़ कलां ग्राम,

(v) लोटाना ग्राम पंचायत के लोटाना, आपरी खेड़ा और कालाबोर ग्राम,

(vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोखरी खेड़ा और वारली खेड़ा ग्राम,

(vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,

(viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उवेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,

(x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,

(xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,

(xii) अचपुरा ग्राम पंचायत के अचपुरा, कासीन्दा, नागपुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,

(xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]
डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव